प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2021

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर बेल-412 के सिमुलेटर पर निदेशालय के पायलटों को मेसर्स हैट्सऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0 बंगलूरू के सिमुलेटर पर इन्स्ट्रूमेन्ट फ्लाईंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-60/ना0उ0नि0/आप्स-17/2020 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 में किए गए प्रस्तावानुसार श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2021-22 में मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0 बंगलूरू में निदेशालय के 07 पायलटों की 02 घंटे की इन्स्ट्रूमेंन्ट फ्लाईंग ट्रेनिंग तथा 02 घंटे क्रिटिकल ट्रेनिंग सम्पादित कराये जाने के निमित्त 04 दिन (02 दिन प्रशिक्षण तथा दो दिन आने-जाने) का प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क 5,90,000/- प्रति पायलट अर्थात् कुल 07 पायलटों के प्रशिक्षण पर आने वाला कुल प्रशिक्षण शुल्क रू0 41, 30,000/- (रूपये इक्तालीस लाख तीस हजार मात्र) का भुगतान बिल बेसिस के माध्यम से ट्रेनिंग पूर्ण होने की तिथि से एक माह के अन्दर कराये जाने तथा पायलटों की यात्रा का अनुमोदन और पायलटों को ट्रेनिंग हेतु यात्रा किराये, होटल एकोमोडेशन इत्यादि की नियमानुसार टी0ए0 / डी0ए0 बिल पायलट द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर भुगतान करने की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करतें है।

क्रम सं0	पायलट का नाम	प्राप्त तिथि
1.	कै0 सुनील कौरा	मई, 2021
2.	कै0 दीपक श्रीवास्तव	अगस्त, 2021
3.	कै0 ए0के0 भूटानी	सितम्बर, 2021
4.	कै0 एस0के0 गिरि	नवम्बर, 2021
5.	कै0 अनूप सिंह	नवम्बर, 2021
6.	कै0 दिनेश श्रीवास्तव	जनवरी, 2022
7.	कै0 जी0एस0 पड्डा	फरवरी, 2022

(1) पायलटों का प्रश्नगत प्रशिक्षण बैंगलोर में ही कराया जाना है। सिमुलेटर की अल्पता, व्यस्तता एवं मेन्टीनेंस इत्यादि के कारण ट्रेनिंग फैसिलिटी द्वारा सिमुलेटर न उपलब्ध होने की स्थिति में प्रशिक्षण की आवंटित तिथियों में परिवर्तन / संशोधन भी कर दिया जाता है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अत: निदेशक, नागरिक उड्डयन को यह अधिकृत किया जाता है कि मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0 बंगलूरू से प्रशिक्षण की ट्रेनिंग फैसिलिटी से प्रशिक्षण की वास्तविक / संशोधित तिथियां प्राप्त होने के बाद वह सम्बन्धित पायलटों को ट्रेनिंग पर प्रस्थान करने हेतु अनुमति प्रदान करें। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रशिक्षण की प्रस्तावित अवधि तथा प्रशिक्षण शुल्क में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि प्रशिक्षण की प्रस्तावित अवधि तथा प्रशिक्षण शुल्क में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस अवस्था में यथा समय शासन की अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) उक्त धनराशि का भुगतान प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् बिल बेसिस के माध्यम से ट्रेनिंग पूर्ण होने की तिथि से 01 माह के भीतर मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0 बंगलूरू को किया जायेगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4) सम्बंधित पायलट को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृत की जाएगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि में से समस्त भुगतान के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

(6) उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना / स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(10) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष आवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(11) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(12) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(13) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 के प्रस्तर-2 एवं शासनादेश संख्या-5/2021/बी-1-392/दस-2021-16-94 दिनांक 26 मार्च, 2021 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

संख्या- 60/2021/910 (1)/छप्पन-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य), अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलट/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।